# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

## प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 25.05.2026

## थाना राधानगर पुलिस द्वारा थाना खागा व थाना राधानगर क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं में संलिप्त 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का माल मशरूका बरामद ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 16.05.2026 को वादिनी श्रीमती अन्नू पत्नी अतुल कुमार निवासी कोऑपरेटिव बैंक के पीछे थाना राधानगर जनपद फतेहपुर द्वारा थाना राधानगर पर सूचना दी गई कि वह अपने निवास स्थान पर न रहकर वर्तमान में दिल्ली में रह रही हैं। निवास स्थान से बाहर रहने के कारण वादिनी ने सुरक्षा के दृष्टिगत अपने पूरे जेवर अपने मायके मदरियापुर थाना राधानगर में पिता गंगासागर के यहां रखे थे तथा वादिनी के पिता का पूरा परिवार 14.05.2026 को घर में ताला लगाकर ग्राम केवटमई थाना खखरेरू चले गए थे । उसी रात को अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर मेरा पूरा जेवर चोरी कर ले गए । इस संबंध में थाना राधानगर पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305(a)/331(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 22.10.2025 को वादी श्री विनय कुमार सोनी पुत्र वीरेन्द्र कुमार सोनी निवासी, थाना खागा, जनपद फतेहपुर द्वारा सूचना दी गई कि वह दिनांक 21.10.2025 को घर में ताला बंद करके सपरिवार चित्रकूट घूमने गये थे वापस आने के उपरान्त दिनांक 22.10.2025 को शाम 19.00 बजे देखा तो अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण एवं नगदी चोरी कर लिये गये। इस संबंध में थाना खागा पर मु0अ0सं0 431/2025 धारा 305/331 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के नेतृत्व में थाना राधानगर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में प्रभावी सुरागरसी पतारसी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 24.05.2026 को सथरियां रेलवे अंडरपास से 03 अभियुक्तों 1.सलीम उर्फ सलमान उर्फ राजू पुत्र छेद्दू निवासी शान्ति नगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 27 वर्ष 2. ऋषभ यादव पुत्र विजेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू यादव निवासी नि0 देवीगंज थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 24 वर्ष 3. योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन पुत्र रामबाबू गुप्ता नि0 देवीगंज थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0सं0 87/26 धारा 305(a)/331(1) बीएनएस से संबंधित माल मशरूका पीली धातु के लाकेट की एक माला (काली मोती में गुहा हुआ), सफेद धातु की दो हाय व एक पीली धातु की हाय की एक माला (काली मोती में पिरोया हुआ), सफेद धातु विछिया 10 जोड़ी, 01 चाबी गुच्छा सफेद धातु, 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 02 कड़ा (बच्चे के पैर के),

02 कड़ा (बच्चे के हाथ का), 01 पीली धातु की सलाई, 02 एण्ड्राइड मोबाइल फोन, 01 लोहे का सब्बल, एक पल्सर मोटर साइकिल तथा मु0अ0सं0 431/2025 धारा 305/331 BNS थाना खागा जनपद फतेहपुर से संबंधित चोरी के माल को बेचने के उपरांत प्राप्त ₹31,000/- नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 87/26 में धारा 317(2)/317(5)/61(2) बीएनएस एवं 431/2025 में धारा 317(2)/112 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों को आज दिनांक 25.05.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में एक अन्य व्यक्ति कमल जोशी पुत्र ज्ञानप्रकाश निवासी लखनऊ बाईपास थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर का नाम प्रकाश में आया,जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।**

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण सलीम उर्फ सलमान उर्फ राजू एवं ऋषभ यादव ने बताया कि वे लोग कमल जोशी के साथ मोटरसाइकिल से शहर एवं देहात क्षेत्रों में घूमकर बंद पड़े घरों की रेकी करते थे। रात में सुनसान मिलने पर घर का ताला तोड़कर चोरी करते थे तथा चोरी के सोने-चांदी के जेवरात भरोसेमंद सुनार योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन को दे देते थे। दिनांक 14/15.05.2026 की रात्रि में मदरियापुर मोड़ स्थित घर से चोरी किए गए माल एवं पूर्व के बकाया रुपये के संबंध में सभी लोग एकत्र हुए थे, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ में सुनार योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन ने बताया कि वह चोरी के जेवरात गलाकर कानपुर में दलालों के माध्यम से बेच देता था तथा अभियुक्त चोरी का माल उसी को बेचते थे।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.सलीम उर्फ सलमान उर्फ राजू पुत्र छेद्दू निवासी शान्ति नगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 27 वर्ष

2.ऋषभ यादव पुत्र  विजेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू यादव निवासी नि0 देवीगंज थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 24 वर्ष

3.योगेश कुमार गुप्ता उर्फ नितिन पुत्र रामबाबू गुप्ता नि0 देवीगंज थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 30 वर्ष

## गिरफ्तार का स्थान, दिनांक व समय-

सथरियांव रेलवे अण्डरपास से, दिनांक 24.05.2026 को, समय करीब 20.12 बजे

## बरामदगी का विवरण-

1. 31000 /-रु0 नगद
2. पीली धातु के लाकेट की 01 माला (काली मोती में पिरोया हुआ),
3. 02 हाय सफेद धातु की
4. 01 पीली धातु की हाय की एक माला (काली मोती में पिरोया हुआ)
5. 10 जोड़ी सफेद धातु की विछिया
6. एक चाबी गुच्छा सफेद धातु
7. दो जोडी पायल सफेद धातु

8. 02 कड़ा (बच्चे के पैर का)
9. 02 कड़ा (बच्चे के हाथ का)
10. 01 पीली धातु की सलाई
11. 02 एंड्रॉयड मोबाइल फोन
12- 01 लोहे का सब्बल
13- 01 पल्सर मोटर साइकिल

**गिरफ्तार सलीम उर्फ सलमान उर्फ राजू पुत्र छेद्दू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0 82/2021 धारा 41/411 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
2.मु0अ0सं0 83/21 थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
3.मु0अ0सं0 743/2021 धारा 380/411/414/457 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
4.मु0अ0सं0 358/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
5.मु0अ0सं0 452/2022 धारा 380/511 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
6.मु0अ0सं0 453/2022 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
7.मु0अ0सं0 454/2022 धारा 411/413/414 भादवि थाना कोतवाली नगर फतेहपुर
8.मु0अ0सं0 455/2022 धारा 25/3 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर
9.**वर्तमान प्रकरण**

**गिरफ्तार अभियुक्त ऋषभ यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

**वर्तमान प्रकरण**

**गिरफ्तार अभियुक्त योगेश कुमार गुप्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

**वर्तमान प्रकरण**

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्याम सुन्दर लाल श्रीवस्तव
2. उ0नि0 चन्द्रिका यादव
3. उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार
4. उ0नि0 अखिलेश पाण्डेय
5. उ0नि0 लालबहादुर पाल
6. रि0का0 विषेक
7. रि0का0 पाल अच्छेलाल
8. का0 दीपक
9. रि0का0 राजू यादव,
10.का0 अभिषेक मिश्रा
11.रि0का0 अनिकेत